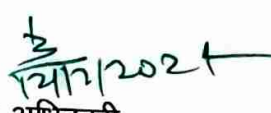


आदेश की क्र०सं० एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कार्रवाई की टिप्पणी सहित
1	2	3
	अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन का जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जांच प्रतिवेदन अंकित है कि “मौजा- घंघरी में जाकर राजस्व कागजात एवं नक्शा का मिलान करके अंचल अमीन के साथ स्थलीय जांच किया। जांच में पाया कि गैरमजरूआ खास खाता सं०-22, प्लॉट सं०- 3/5 एवं 3/6 रकबा- क्रमशः 0.78ए० एवं 0.32 ए० कुल रकबा-1.10 ए० पर श्री भगरीत सिंह पिता झरी सिंह के द्वारा जोत-कोड किया जा रहा है। उनके द्वारा जांच के दौरान बंदोबस्ती पर्चा एवं निर्गत रसीद प्रस्तुत किया गया है, जिससे पता चलता है कि अनुमण्डल पदाधिकारी के बंदोबस्ती वाद सं० 50/1994-95 के अन्तर्गत दिनांक 26.03.1995 को मौजा- घंघरी, थाना सं०-344 के अंतर्गत उक्त खाता सं०-22, प्लॉट सं०- 3/5 एवं 3/6 रकबा- क्रमशः 0.78ए० एवं 0.32 ए० कुल रकबा-1.10 ए० की बंदोबस्ती उक्त रैयत श्री भगरीत सिंह पिता झरी सिंह के नाम से हुआ है, जिसका जमाबंदी मौजा-घंघरी के मांग पंजी II के पेज सं० 54/IV पर दर्ज होकर वर्ष 2006-07 तक रसीद निर्गत हो रहा है। इस प्रकार उक्त जमाबंदी संदेहास्पद/अवैध प्रतीत नहीं होता है। उक्त अवैध जमाबंदी वाद सं० 163/2016-17 से बाहर किया जा सकता है।” अतः अंचल अमीन, राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा समर्पित किए गए जांच प्रतिवेदन के आधार पर वाद की कार्रवाई <u>समाप्त</u> की जाती है। लेखापित एवं संशोधित।  अंचल अधिकारी, मनातू।  अंचल अधिकारी, मनातू।	

सेवा में,
अधिकारी
मनापुर, पलाश।

विषय:- अवैध/संदेहास्पद जमाबंदी केस नं० 163/2016-17 का
जोच प्रविष्टन के संबंध में।

महोदय,

³
12/11/24 चेवरी में उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि मौजा-
मिलान करके अधिकारी के साथ स्थानीय जमाने
किया। जमाने में पाया कि जमानेवाला जमाने
सं०-22 रकबा- 3/5, 3/6. बूट रकबा- 1.10 ए० पर
श्री भागीरथ सिंह पिता- इसी सिंह के द्वारा जोच-पेज
किया जा रहा है। उनके द्वारा जोच के दौरान बंदी
फर्मा कर निर्गत रसीद प्रस्तुत किया गया है, जिससे
पता चलता है कि अनुमंडल पदाधिकारी के बंदी बाद
सं०- 50/44-95 के अन्तर्गत दिनांक - 26/03/1995 को
मौजा चेवरी जमाना नं० 344, के अन्तर्गत इस प्रकार सं०-
22, रकबा सं० 3/5, 3/6 रकबा- 1.10 ए० की बंदीवसी
इस क्षेत्र श्री भागीरथ सिंह पिता- इसी सिंह के नाम
से हुआ है, जिसका जमाबंदी मौजा- चेवरी के मौजा
पंजी- II के पेज सं० 54/4 पर दर्ज होकर वर्ष- 2006-07
तक रसीद निर्गत हो रहा है। इस प्रकार इस जमाबंदी
संदेहास्पद/अवैध नहीं होगी।

अतः इस जमाबंदी को संदेहास्पद/अवैध जमाबंदी
से मुक्त किया जा सकता है।

अभिषेक कुमार
अ. असीन
12/11/2024

12/11/24
RST+V

विश्वासनाथन
अनिल कुमार
रा० उ० नि०
हलका- 11